NEERAJ®

कम्पनी विधि

(Company Law)

By: Payal Jain

Reference Book

Including

Solved Question Papers

New Edition

NEERAJ PUBLICATIONS

(Publishers of Educational Books)

(An ISO 9001 : 2008 Certified Company)

1507, Ist Floor, NAI SARAK, DELHI - 110006

Ph.: 011-23260329, 45704411, 23244362, 23285501

E-mail: **info@neerajignoubooks.com**

Website: **www.neerajignoubooks.com**

Price

₹ 200/-

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

Admn. Office : **Delhi-110 007**
Sales Office : **1507, 1st Floor, Nai Sarak, Delhi-110 006**
E-mail: **info@neerajignoubooks.com** *Website*: **www.neerajignoubooks.com**

	Typesetting by: ***Competent Computers***	*Printed at*: ***Novelty Printer***

Notes:

1. *For the best & upto-date study & results, please prefer the recommended textbooks/study material only.*
2. *This book is just a Guide Book/Reference Book published by NEERAJ PUBLICATIONS based on the suggested syllabus by a particular Board /University.*
3. *The information and data etc. given in this Book are from the best of the data arranged by the Author, but for the complete and upto-date information and data etc. see the Govt. of India Publications/textbooks recommended by the Board/University.*
4. *Publisher is not responsible for any omission or error though every care has been taken while preparing, printing, composing and proof reading of the Book. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading etc. are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. If any reader is not satisfied, then he is requested not to buy this book.*
5. *In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can claim against NEERAJ PUBLICATIONS is just for the price of the Book.*
6. *If anyone finds any mistake or error in this Book, he is requested to inform the Publisher, so that the same could be rectified and he would be provided the rectified Book free of cost.*
7. *The number of questions in NEERAJ study materials are indicative of general scope and design of the question paper.*
8. *Question Paper and their answers given in this Book provide you just the approximate pattern of the actual paper and is prepared based on the memory only. However, the actual Question Paper might somewhat vary in its contents, distribution of marks and their level of difficulty.*
9. *Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS/NEERAJ IGNOU BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" on Websites, Web Portals, Online Shopping Sites, like Amazon, Flipkart, Ebay, Snapdeal, etc. is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ IGNOU BOOKS/NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.*
10. *Subject to Delhi Jurisdiction only.*

© Reserved with the Publishers only.

Spl. Note: *This book or part thereof cannot be translated or reproduced in any form (except for review or criticism) without the written permission of the publishers.*

How to get Books by Post (V.P.P.)?

If you want to Buy NEERAJ IGNOU BOOKS by Post (V.P.P.), then please order your complete requirement at our Website ***www.neerajignoubooks.com****. You may also avail the 'Special Discount Offers' prevailing at that Particular Time (Time of Your Order).*
To have a look at the Details of the Course, Name of the Books, Printed Price & the Cover Pages (Titles) of our NEERAJ IGNOU BOOKS You may Visit/Surf our website ***www.neerajignoubooks.com.***
No Need To Pay In Advance, the Books Shall be Sent to you Through V.P.P. Post Parcel. All The Payment including the Price of the Books & the Postal Charges etc. are to be Paid to the Postman or to your Post Office at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us by Charging some extra M.O. Charges.
We usually dispatch the books nearly within 4-5 days after we receive your order and it takes Nearly 5 days in the postal service to reach your Destination (In total it take atleast 10 days).

NEERAJ PUBLICATIONS

(Publishers of Educational Books)

(An ISO 9001 : 2008 Certified Company)

1507, 1st Floor, NAI SARAK, DELHI - 110 006

Ph. 011-23260329, 45704411, 23244362, 23285501

E-mail: **info@neerajignoubooks.com** *Website:* **www.neerajignoubooks.com**

CONTENTS

कम्पनी विधि
(Company Law)

Question Paper—June, 2018 (Solved)	1
Sample Question Paper—1 (Solved)	1
Sample Question Paper—2 (Solved)	1

S.No.	*Chapter*	*Page*

कम्पनी और उसकी संरचना
(Company and Its Formation)

1.	कम्पनियों की प्रकृति और प्रकार (Nature and Types of Companies)	1
2.	सार्वजनिक तथा निजी कम्पनी (Public and Private Companies)	18
3.	प्रवर्तक (Promotor)	23
4.	कम्पनी का गठन (Formation of a Company)	31

प्रमुख प्रलेख
(Principal Documents)

5.	सीमा गठन (Memorandum of Association)	40
6.	अन्तर्नियम (Articles of Association)	47
7.	प्रविवरण (Prospectus)	56

S.No.	Chapter	Page
	शेयर पूंजी एवं सदस्यता (Share Capital and Membership)	
8.	शेयर तथा ऋणपूंजी (Share and Loan Capital)	68
9.	शेयरों का आबंटन (Allotment of Shares)	79
10.	शेयरों का अंतरण एवं पारेषण (Transfer and Transmission of Shares)	92
11.	कम्पनी की सदस्यता (Membership of Company)	98
	कंपनी प्रबंधन (Company Management)	
12.	निदेशक (Directors)	106
13.	प्रबन्धकीय पारिश्रमिक (Managerial Remuneration)	125
14.	कम्पनी सचिव (Company Secretary)	129
15.	सभाएं एवं प्रस्ताव (Meetings and Resolution)	138
16.	समकालीन विषय (Contemporary Issues)	152

■■

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

(June – 2018)

(Solved)

कम्पनी विधि

समय : 2 घण्टे] *अधिकतम अंक : 50*

नोट : *किन्हीं* ***पाँच*** *प्रश्नों के उत्तर दीजिए।*

प्रश्न 1. निगमन का आवरण क्या है? ऐसी किन्हीं चार परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनके अन्तर्गत यह आवरण हटाया जा सकता है।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-1, पृष्ठ-3, 'निगमन का आवरण हटाना'

प्रश्न 2. निगमन से पूर्व अनुबन्धों की कानूनी स्थिति का उल्लेख कीजिए। क्या कम्पनी इस प्रकार के अनुबन्धों की पुष्टि कर सकती है? कारण दीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-26, 'प्रारम्भिक अनुबन्धों या निगमन से पूर्व अनुबन्धों की स्थिति', पृष्ठ-30, प्रश्न 8 (ख)

प्रश्न 3. ''आन्तरिक प्रबन्ध के सिद्धांत की उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। इस सिद्धांत के अपवाद क्या हैं?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-6, पृष्ठ-51, 'आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धांत'

प्रश्न 4. 'संस्थापन प्रलेख (सीमानियम) क्या है? इसके विभिन्न खण्डों (अनुच्छेदों) की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-5, पृष्ठ-45, प्रश्न 1, प्रश्न 3

प्रश्न 5. किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की कम्पनी की सदस्यता समाप्त हो जाती है?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-11, पृष्ठ-104, प्रश्न 4

प्रश्न 6. 'निदेशक' की परिभाषा दीजिए। कम्पनी में उसकी कानूनी स्थिति क्या है?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-12, पृष्ठ-114, प्रश्न 1, पृष्ठ-119, प्रश्न 3

प्रश्न 7. कोरम की परिभाषा दीजिए। कोरम के विषय में कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-15, पृष्ठ-144, प्रश्न 11, प्रश्न 8 एवं 12, पृष्ठ-150, प्रश्न 8

प्रश्न 8. ''शेयरों का अभ्यर्पण उसी प्रकार है जैसे शेयरों को जब्त करना।'' टिप्पणी कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-9, पृष्ठ-84, 'शेयरों का अभ्यर्पण'

प्रश्न 9. कम्पनी सचिव की स्थिति की विवेचना कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-14, पृष्ठ-130, 'कम्पनी सचिव की स्थिति'

प्रश्न 10. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

(क) विशेष प्रस्ताव

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-15, पृष्ठ-149, प्रश्न 6

(ख) प्रवर्तक की भूमिका

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-23, 'प्रवर्तक के कार्य'

(ग) शक्ति-बाह्यता (अधिकारातीत) का सिद्धांत

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-5, पृष्ठ-43, 'शक्ति बाह्यता का सिद्धांत'

(घ) शेयर प्रमाण-पत्र

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-9, पृष्ठ-81, 'शेयर प्रमाण-पत्र'

■■

Neeraj Publications www.neerajbooks.com

Sample

QUESTION PAPER-1

(Solved)

कम्पनी विधि

समय : 2 घण्टे] *अधिकतम अंक : 50*

*नोट : किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए।*

प्रश्न 1. ''कम्पनी शाश्वत उत्तराधिकार वाली और विधि द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है और जिन सदस्यों से यह बनती है, उनके व्यक्तित्व से भिन्न होती है।'' टिप्पणी कीजिए। कम्पनी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-1, पृष्ठ-12, प्रश्न 1, 2

प्रश्न 2. निजी कम्पनी की परिभाषा दीजिए। निजी कम्पनी को सार्वजनिक कम्पनी में परिवर्तित करने की विधि बताइए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-2, पृष्ठ-20, प्रश्न 1, पृष्ठ-22, प्रश्न 3

प्रश्न 3. कम्पनी के पंजीयन के लिये रजिस्ट्रार के पास फाइल किये जाने वाले दस्तावेजों को सूचीबद्ध कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-4, पृष्ठ-37, प्रश्न 2

प्रश्न 4. शक्ति बाह्य सिद्धान्त को उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइये।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-5, पृष्ठ-45, प्रश्न 4

प्रश्न 5. प्रविवरण की परिभाषा दीजिये। इसकी विषय-वस्तु का संक्षिप्त में विवेचन कीजिये। प्रविवरण में किया कथन के लिये निदेशकों व कम्पनी के दायित्व को बताएँ। कोई निदेशक प्रविवरण में मिथ्या कथन के लिये पीड़ित पक्ष के लिये कब उत्तरदायी नहीं होता?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-7, पृष्ठ-64, प्रश्न 5, पृष्ठ-65, प्रश्न 6

प्रश्न 6. कम्पनी की 'शेयर पूँजी' का क्या अर्थ है? पूर्वाधिकार शेयर कितने प्रकार की कम्पनी जारी कर सकती है? क्या कम्पनी अमोचनीय पूर्वाधिकार शेयर निर्गमित कर सकती है?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-8, पृष्ठ-75, प्रश्न 1, पृष्ठ-77, प्रश्न 6

प्रश्न 7. शेयरों के आबन्टन की विधि का वर्णन कीजिये। कोई कम्पनी किन परिस्थितियों में श्रम साध्य शेयरों को छूट पर जारी कर सकती है?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-9, पृष्ठ-88, प्रश्न 1, प्रश्न 89, प्रश्न 3

प्रश्न 8 कम्पनी के निदेशक कौन होते हैं? उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? निदेशकों के अधिकार एवं कर्त्तव्यों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-12, पृष्ठ-118, प्रश्न 1, पृष्ठ-122, प्रश्न 8

प्रश्न 9. कम्पनी अधिनियम में शब्द 'कम्पनी सचिव' की परिभाषा क्या है? कम्पनी का सचिव कौन नियुक्त हो सकता है? कम्पनी सचिव के सांविधिक और अनुबन्धात्मक दायित्व विस्तार से बताइये।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-114, पृष्ठ-135, प्रश्न 1, पृष्ठ-136, प्रश्न 5

प्रश्न 10. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए:

(क) प्रवर्तकों को पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-29, प्रश्न 6

(ख) आन्तरिक प्रबन्ध के सिद्धान्त के अपवाद

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-6, पृष्ठ-54, प्रश्न 7

(ग) सदस्यों एवं शेयर धारियों में अंतर

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-11, पृष्ठ-103, प्रश्न 1

(घ) प्रॉक्सी

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-15, पृष्ठ-151, प्रश्न 9

■■

Neeraj Publications www.neerajbooks.com

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

कम्पनी विधि
Company Law

कम्पनी और उसकी संरचना
(Company and Its Formation)

कम्पनियों की प्रकृति और प्रकार
(Nature and Types of Companies)

1

परिचय

कम्पनी का तात्पर्य किसी सामूहिक कार्य को करने के लिये कुछ प्रशिक्षित (Trained) व्यक्तियों की संस्था से लगाया जाता है। इसके अन्तर्गत कुछ अधिनियमों को भी शामिल किया जाता है। साथ ही कुछ अनुसूचियाँ भी सम्मिलित होती हैं। कम्पनी अधि नियम 2013 में राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 अगस्त को तथा 30 अगस्त 2013 को अधिसूचित हुई। इसके अन्तर्गत 450 धाराएँ तथा 7 अनुसूचियाँ हैं। पूर्व में 1956 के अधिनियम के तहत इसमें 658 धाराएँ व 15 अनुसूचियां थीं। कम्पनी अधिनियम में कम्पनी के विषय में समस्त जानकारियां जैसे कि गठन, प्रबन्ध व प्रशासन अधिकरण सभी के विषय में विस्तारपूर्वक बताया जाता है। अत: कम्पनी अधि नियम के विषय में जानने के लिये सर्वप्रथम यह जानना अति आवश्यक है कि कम्पनी क्या है? इसमें कौन-कौन से अधिनियमों को सम्मिलित किया जाता है? आदि। अत: इस इकाई के अन्तर्गत हम इन्हीं विषयों का अध्ययन करेंगे।

अध्याय का विहंगावलोकन

कम्पनी का अर्थ एवं परिभाषा

कम्पनी एक ऐसी संस्था है, जो कि कुछ व्यक्तियों के सहयोग द्वारा बनाई जाती है। इसमें उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यक्तियों का सहयोग लिया जाता यह आर्थिक तथा गैर-आर्थिक दोनों ही प्रकार की होती है। कम्पनी शब्द का तात्पर्य प्राय: एक ऐसे व्यवसाय से लगाया जाता है, जिससे लाभ अर्जित किया जाता है, परन्तु गैर आर्थिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिये भी कम्पनी का गठन किया जा सकता है। इसके विषय में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में उल्लेख किया गया है। जब किसी कम्पनी को साझेदारी के रूप में ABC का नाम दिया जाता है, तो इसका तात्पर्य है कि यह एक ऐसा संगठन है, जिसमें कई व्यक्ति शामिल हैं।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(20) के अनुसार कम्पनी से तात्पर्य है–निगमित अथवा पंजीकृत की गई कम्पनी, परन्तु कम्पनी के अर्थ को और अधिक समझने के लिये इसकी परिभाषाओं को जानना अति आवश्यक है।

लार्ड जस्टिस लिडले ने कम्पनी को परिभाषित करते हुए कहा, ''कम्पनी से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों की एक संस्था से होता है, जो किसी सामान्य स्टॉक में अपने धन को या उसके मूल्य की वस्तु को लगाते हैं। यह व्यक्ति इस धन आदि का प्रयोग किसी व्यापार या व्यवसाय में करते हैं तथा उससे प्राप्त होने वाले लाभ या हानि को भी आपस में बांट लेते हैं। इस तरह बनाया गया सामान्य स्टॉक धन के रूप में होता है व इसे ही कम्पनी की पूंजी कहा जाता है। इसमें धन लगाने वाले सदस्य ही इसके स्वामी होते हैं। प्रत्येक सदस्य जिस अनुपात में पूंजी लगाता है, उसका उतना ही शेयर होता है। शेयर सदा ही हस्तान्तरणीय होते हैं, हालांकि हस्तान्तरणीय के सम्बन्ध में कुछ न कुछ प्रतिबन्ध भी लगे होते हैं।'' **चीफ जस्टिस मार्शल** के अनुसार, ''कम्पनी वह व्यक्ति है, जो कृत्रिम, अदृश्य और अमूर्त होती है, जो केवल कानून की नजर में ही विद्यमान रहती है। कानून द्वारा सर्जित होने के नाते इसमें वही विशेषताएं विद्यमान होती हैं, जिन्हें इसे बनाने वाला चार्टर इसको देता है। स्पष्ट रूप से या इसके अस्तित्व के संदर्भ में होता है।'' **''लार्ड हैजे** ने कम्पनी को परिभाषित करते हुए कहा कि कम्पनी एक निगमित संस्था है, जो कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति हो जिसका अपना अलग अस्तित्व होता हो तथा जिसका शास्वत उत्तराधिकार सार्वमुद्रा (Common seal) होती है।

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कम्पनी को एक कृत्रिम व्यक्ति का रूप दिया जाता है, जिसका विधिक अस्तित्व होता है।

www.neerajbooks.com

कम्पनी बनाम निगमित निकाय

निगमित निकाय का तात्पर्य व्यक्तियों की ऐसी संस्था से है जिसका किसी विधि के अन्तर्गत निगमन होता है तथा इसमें शाश्वत उत्तराधिकार होने के साथ सार्वमुद्रा व स्वयं के सदस्यों से अलग अस्तित्व को भी देखा जाता है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (11) में निगमित निकाय को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है–

एक पंजीकृत सहकारी सोसाइटी जो कि सहकारी सोसायटी के अधीन आती है।

ऐसा अन्य निगमित निकाय केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा।

निगमित निकाय दो प्रकार के होते हैं–

(1) एकक निगम (Corporation Sole)–यह एक ऐसा निगमित निकाय है, जो एक ही व्यक्ति द्वारा गठित होता है तथा यह एक मुख्य कार्यालय या अधिकारों के कारण स्वयं का निगमित पद रखता है। इसके अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्टी, राज्यपद, राष्ट्रपति आदि आते हैं।

(2) सामूहिक निगम (Corporation Aggregate)– सामूहिक निगम व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, जो आपस में जुड़े रहते हैं। इससे यह समूह एक ही व्यक्ति का रूप ले लेते हैं, जैसे लिमिटेड कम्पनी अथवा व्यापार संघ आदि।

क्या कम्पनी एक नागरिक है?

कम्पनी को कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है, परन्तु यह एक नागरिक की श्रेणी में नहीं आती है। इसके विषय में भारतीय संविधान अथवा नागरिकता अधिनियम 1955 के अन्तर्गत बताया गया कि कोई भी निगम, जिसमें कम्पनी शामिल है, उसे नागरिक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। कम्पनी को किसी प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। सिर्फ नागरिकों के समूह के आधार पर कम्पनी मौलिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकती है। परन्तु नागरिक न होते हुए भी कम्पनी के पास राष्ट्रीयता, अधिवास तथा निवास स्थान हैं व जिस देश में इसका निगमन या शुरुआत हुई वहां की निवासी अथवा नागरिक भी कहलाती है।

कम्पनी की प्रमुख विशेषताएं

एक गठित तथा पंजीकृत कम्पनी में कुछ मुख्य विशेषताएं पाई जाती हैं, जो कि निम्नलिखित हैं–

(1) निर्माण का कानून–कम्पनी कानून द्वारा निर्मित संस्था है, क्योंकि इसका पंजीकरण कम्पनी अधिनियम में होने के पश्चात ही यह अपने अस्तित्व में आती है। यह निजी कम्पनी के रूप में 2 व्यक्तियों के सहयोग से तथा सार्वजनिक कम्पनी के रूप में 7 व्यक्तियों के सहयोग से गठित की जाती है।

(2) कृत्रिम व्यक्ति–कम्पनी के स्वयं के अधिकार तथा दायित्व होने के कारण इसे कृत्रिम व्यक्ति कहा गया है।

(3) निजी वैधानिक अस्तित्व–कानून कम्पनी को एक वास्तविक व्यक्ति का रूप प्रदान किया गया है। इसका स्वयं का कानूनी अस्तित्व होता है। इसके शेयरधारकों का अस्तित्व अलग होता है। कम्पनी की स्वयं की मुद्रा तथा स्वयं का नाम होता है। इसकी परिसम्पत्तियां भिन्न होती हैं। स्वयं के कार्यों हेतु कोई भी कम्पनी पर मुकदमा कर सकता है तथा कम्पनी भी अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा कर सकती है। शेयरधारक भी कम्पनी का लेनदार हो सकता है।

(4) सीमित दायित्व–कम्पनी का दायित्व सीमित ही होता है। दायित्व के आधार पर कम्पनी को चार भागों में विभक्त किया जाता है–

(a) **शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी**–अर्थात सदस्यों का दायित्व शेयरों के मूल्यों तक ही रहता है, जो कि उनके पास हैं। यदि कोई सदस्य शेयरों के मूल्य की पूरी राशि प्रदान कर देता है, तो उसका उत्तरदायित्व शून्य हो जाता है।

(b) **गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनी** का तात्पर्य है कि सदस्यों ने जिस राशि की गारण्टी प्रदान की है, उस तक ही उनका दायित्व सीमित रहता है।

(c) **शेयर पूंजी वाली गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनियों** के एक सदस्य का दायित्व उसके शेयरों की जो राशि प्राप्त है व गारण्टी की गई राशि दोनों के जोड़ तक सीमित होगा।

(d) **असीमित दायित्व वाली कम्पनियों** के सदस्यों का दायित्व उनके पास शेयरों के अंकित मूल्यों तक ही सीमित नहीं होता वरन् जब तक कम्पनी के देयताओं तथा ऋण के एक-एक पैसे का भुगतान नहीं होगा वे उत्तरदायी होंगे, परन्तु कम्पनी के अलग अस्तित्व की वजह से लेनदार सदस्यों के विरुद्ध सीधे-सीधे वाद-विवाद नहीं करते।

(5) अलग सम्पत्ति–कानून के अनुसार शेयरधारकों को उपक्रम का आंशिक मालिक नहीं माना जाता। उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया कि शेयरधारक कम्पनी अथवा इसकी सम्पत्ति का आंशिक मालिक नहीं होता। इनको कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे–मत प्रदान करना, लाभ प्राप्त करना आदि।

(6) शाश्वत अधिकार–प्रत्येक कम्पनी का एक शाश्वत उत्तराधिकार होता है। इसमें सदस्य आते-जाते हैं, उनकी मृत्यु होती है या कई अन्य कारण भी होते हैं, परन्तु कम्पनी के अस्तित्व पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। कम्पनी की शुरुआत विधि से होती है, अतः इसका अन्त भी विधि की प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है।

(7) शेयरों का हस्तान्तरण–कम्पनी में शेयरों का हस्तान्तरण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। सार्वजनिक कम्पनी शेयरों के

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

हस्तान्तरण पर कुछ प्रतिबन्ध लगा सकती है, परन्तु पूरी तरह से रोक नहीं सकती।

(8) सार्वमुद्रा–कम्पनी की एक सार्वमुद्रा होती है, जिस पर कम्पनी का स्वयं का नाम अंकित होता है। सार्वमुद्रा पर कम्पनी के आधिकारिक हस्ताक्षर होते हैं। यह धातु की मुद्रा होती है। धारा 22(2) के अनुसार कम्पनी सार्वमुद्रा को विर्निष्ट अटार्नी अधिकार के अन्तर्गत भारत व बाहर की तरफ से विषयों के निष्पादन के अधिकार प्रदान कर सकती है। कम्पनी संशोधन अधिनियम 2015 में सार्वमुद्रा को अनिवार्य नहीं माना गया।

(9) अनुबन्ध की अनुमति–कम्पनी के द्वारा अपने पृथक अस्तित्व के कारण अनुबन्ध किया जा सकता है। यदि कम्पनी अनुबन्धों का उल्लंघन करती है, तो इस पर दूसरों द्वारा वाद लगाये जा सकते हैं।

निगमन का आवरण हटाना
(Lifting the Corporate Veil)

निगमन के आवरण का तात्पर्य 'एक सीमा रेखा या आवरण, जो कम्पनी और इसके सदस्यों के बीच खींचा जाता है' से होता है। निगमन के आवरण को हटाने का मुख्य कारण यह है कि जब न्यायालय कम्पनी की उपेक्षा करता है तथा कम्पनी के सदस्यों तथा पद-अधिकारों में रुचि लेता है, तब न्यायालय द्वारा निगमन के आवरण को हटाया जाता है। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक हित को देखकर ही कम्पनी के आवरण को हटाया जाता है।

निगमन के आवरण को निम्नलिखित दो शीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है–

(1) सांविधिक प्रावधानों के अन्तर्गत तथा

(2) न्यायिक व्याख्याओं के अन्तर्गत।

अब हम इनके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे–

सांविधिक प्रावधानों के अन्तर्गत
(Under Statutory Provisions)

सांविधिक प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों को लिया जाता है–

(1) प्रविवरण में मिथ्या कथन (धारा 34 व 35)–कम्पनी में यदि कोई हानि या हर्जाना होगा जो कि मिथ्या कथन के कारण हुआ तो उसका हर्जाना कम्पनी के निदेशक, प्रवर्तक, विशेषक व प्रविवरण जारी करने के अधिकृत व्यक्ति देंगे। इसके अलावा इन व्यक्तियों को दंडस्वरूप 6 माह से 10 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। साथ ही धारा 34 व 447 के अनुसार दंड की राशि छल-कपट की राशि की तीन गुना तक हो सकती है।

इस दंड से बचाव के लिये व्यक्ति को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि यह कथन अथवा लोप महत्त्वहीन था। इसके लिये व्यक्तियों को प्रविवरण जारी करना या लोप किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) आवेदन राशि को वापस न करने की चूक (धारा 39)–यदि आवेदन राशि को वापस करने में कुछ चूक हो जाये, तो इसके लिये कम्पनी को दंड प्रदान किया जाता है। यह चूक कई प्रकार की हो सकती है, जैसे–

(1) कम्पनी द्वारा जब शेयर जारी किये जाते हैं, तो प्रविवरण में दी जाने वाली न्यूनतम रकम के रूप में 30 दिन या अन्य अवधि के अन्दर-अन्दर प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा यह विनिर्दिष्ट करना अनिवार्य है। यदि ये प्राप्त नहीं किये जा सकते तो इस राशि को निर्धारित समय के अन्दर-अन्दर वापिस करना जरूरी होता है।

(2)2014 के कंपनी नियम 11 के अनुसार, आवेदन पत्र रकम, शेयरों के जारी होने के पश्चात बन्द होने के 15 दिन के अन्दर वापिस करनी होगी।

यदि कम्पनी द्वारा किसी प्रकार की चूक हो जाती है, तो जब तक यह चूक जारी रहेगी तब तक 1000 रुपये प्रतिदिन के अथवा एक लाख रुपये या इनमें से जो भी कम है, वह दण्ड हेतु उत्तरदायी होगा।

(3) नाम की अशुद्धि या ना बताना (Non-disclosure/ Misdescription of Name (धारा 12)–जब कम्पनी के अधिकारी की तरफ से किसी प्रकार का अनुबन्ध विनिमय पत्र, चैन अथवा मुद्रा पर बिना कम्पनी का उल्लेख किये हस्ताक्षर किए जायेंगे, तो कम्पनी का व्यक्ति इसके लिये स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

(3) कम्पनी के कार्यकलापों की जांच–धारा 210, 212 तथा 213 में कम्पनी के कार्यकलापों की जांच करना, छानबीन करने हेतु एक निरीक्षक नियुक्त किया जायेगा। यह निरीक्षक किसी और कम्पनी जो कि इस कम्पनी से सम्बन्धित हो सकती है, उसके प्रबन्धन समूह का हो सकता है। यह कम्पनी के कार्यकलापों की उचित जांच कर सकता है।

(5) कम्पनी के स्वामित्व की छानबीन करना–केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 216 के अन्तर्गत कम्पनी के स्वामित्व की छानबीन करने हेतु एक निरीक्षक नियुक्त किया जाता है। यह निरीक्षक कम्पनी की सदस्यता से सम्बन्धित विषयों पर छानबीन कर उनकी रिपोर्ट देता है। इसके आधार पर कम्पनी की सफलता-विफलता तथा नीति-नियन्त्रण प्रावधानों के विषय में पता चलता है।

(6) शक्ति बाह्य कार्यों के लिये दायित्व–कम्पनी की शक्ति के बाहर के समस्त कार्यों के लिये कम्पनी के निदेशक तथा अन्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जाते हैं।

(7) कारोबार का छल-कपटपूर्ण संचालन करना–यदि कम्पनी के व्यक्तियों के द्वारा किसी से छल-कपटपूर्ण व्यवहार, जैसे–कम्पनी के लेनदारों या अन्य व्यक्तियों को धोखा देना, ऋण तथा अन्य देय हेतु उत्तरदायी होने की स्थिति में कपटी व्यक्तियों को ही इस धोखे, छल-कपट व ऋणों हेतु उत्तरदायी माना जाता है।

(8) अन्य अधिनियमों में दायित्व–कम्पनी अधिनियम के अनुसार निदेशक तथा अन्य व्यक्ति व अधिकारी अन्य कानूनी प्रावधानों के उत्तरदायी होंगे। जैसे कि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निजी कम्पनी का समापन होने पर पिछले वर्ष का जो

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

बकाया आयकर होगा, वह कम्पनी से वसूला नहीं जा सकता है। तब उस वर्ष जो व्यक्ति कम्पनी का निदेशक होगा, वह संयुक्त तथा पृथक रूप से इन कार्यों हेतु उत्तरदायी माना जाता है।

न्यायिक व्याख्याओं के अन्तर्गत (Under judicial Interpretations)

न्यायिक व्याख्याओं के अन्तर्गत निम्नलिखित परिस्थितियों में निगमन का आवरण हटाया जाता है–

(1) राजस्व सुरक्षा (Protection of Revenue)–राजस्व सुरक्षा के लिये कम्पनी तथा करदाता का अलग-अलग स्वरूप तय किया गया है। कम्पनी तथा करदाता द्वारा कोई व्यापार नहीं किया जाता, वरन् विधिक अस्तित्व को देखकर करदाता द्वारा लाभ व ब्याज प्राप्ति का कार्य तथा ऋण लिया जाता है। इससे कम्पनी की राजस्व सुरक्षा सही रूप में आती है। उदाहरणस्वरूप एक व्यक्ति जो कि करदाता है तथा अरबपति है व लाभांश व ब्याज की बहुत बड़ी राशि अर्जित करता है। साथ ही वह व्यक्ति छह कम्पनियों का गठन करता है, तो वह स्वयं के द्वारा किये गये निवेश को कम्पनियों के शेयर के बदले हर कम्पनी को हस्तान्तरित करता है। लाभांश तथा ब्याज के रूप में जो आय उस कम्पनी को प्राप्त होगी, वह अरबपति व्यक्ति को ऋण के रूप में वापिस की जायेगी अर्थात कम्पनी तथा करदाता अलग-अलग नहीं हैं वरन् विधिक अस्तित्व को देखते हुए यह करदाता को ऋण देने का एक बहाना है।

(2) धोखा या अनुचित आचरण रोकने के लिये (Prevention of Fraud or improper conduct–कम्पनी के द्वारा धोखे व अनुचित आचरण को अपनाने पर न्यायालय के द्वारा निगमन के आवरण को हटाने का निर्णय लिया जाता है। इससे वास्तविकता का पता चल जाता है। सिर्फ दिखावे के लिये या स्पर्धा कारोबार का दिखावा करने के लिये कम्पनी का गठन किया जाता है, तो इसे धोखे में या अनुचित आचरण में रखकर न्यायालय द्वारा उचित कार्यवाही की जायेगी।

(3) कम्पनी के शत्रु स्वरूप का निर्धारण करने के लिये (Determination of the enemy character of the company)–कम्पनी का अपना एक अस्तित्व होता है तथा इसे व्यक्तियों द्वारा ही चलाया जाता है। यदि कम्पनी अथवा व्यक्तियों के पीछे कुछ शत्रु आदि लग जाते हैं, तो निगमन का आवरण हटाना अनिवार्य हो जाता है। जब कभी दो कम्पनियों में भी शत्रुता हो जाती है, तो निर्णय प्राय: निगमन का आवरण हटाकर ही किया जाता है, क्योंकि शत्रु के साथ व्यापार करना सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होता है।

(4) नियमित कम्पनियों को एजेन्ट के रूप में कार्य करने के लिये गठित करना (Formation of subsidiaries to act as agent)–जब कोई कम्पनी किसी कार्य को स्वयं के आधार पर नहीं कर सकती तो वह एक नियमित कम्पनी का गठन करती है तथा उसके आधार पर ही लाइसेंस प्राप्ति अथवा अन्य कार्य करती है, तो इसे ही नियमित कम्पनी का एजेन्ट के रूप में कार्य करना कहते हैं। यहां पर नियमित तथा नियंत्रक कम्पनी को एक ही वाणिज्यिक इकाई के रूप में माना जाता है।

(5) जो कम्पनी अपने सदस्यों/शेयरधारकों के एजेन्ट के रूप में कार्य करने के लिए गठित की जाती है (Where a company act as agents for its members shareholders)– कम्पनी के द्वारा अपने सदस्यों तथा शेयरधारकों के एजेन्ट के रूप में कार्य किया जाता है। यहां वास्तव में व्यापार तो शेयरधारकों का ही होता है तथा व्यक्तिगत रूप से सारा दायित्व भी शेयरधारकों पर ही रहता है। अत: कम्पनी व शेयरधारकों की आपस में सांठ-गांठ से ही कम्पनी का कार्य पूर्ण होता है।

(6) आर्थिक अपराध की दशा में (In case of economic offence)–यदि कम्पनी में किसी भी प्रकार का आर्थिक अपराध होता दिखाई देता है, तो न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह निगमन का आवरण हटा दे। इसमें यह पता लगाया जाता है कि कौन-सा निदेशक धोखा दे रहा है, तथ्यों को छुपाकर अशुद्ध कथन बता रहा है आदि। इस प्रकार अधिनियम के प्रावधानों को या नियमों के उल्लंघन के आधार पर ही न्यायालय दण्ड निर्धारित करता है।

(7) जब कम्पनी का उपयोग कल्याणकारी कानूनों का परिहार हो (Where compnay is used to avoid welfare legislation)–कम्पनी के द्वारा जब कल्याणकारी कानूनों का परिहार किया जाता है, तो निगमन का आवरण हटाया जा सकता है। इसमें यदि कम्पनी अपने कर्मचारियों का शोषण करती है, तो इसे दण्ड के क्षेत्र में निर्धारित किया जाता है।

(8) जब कम्पनी का किसी अवैध या अनुचित उद्देश्य के लिये उपयोग किया जाये (Where company is used for some illegal or improper purpose)–जब कम्पनी के द्वारा किसी अन्य कम्पनी अथवा व्यक्ति का अवैध या अनुचित उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जायेगा, तो वहां न्यायालयों द्वारा निगमन के आवरण को हटाना ही उचित समझा जाता है। यदि कोई कम्पनी छल-कपट भी करती है, तो वह भी इस दंड के अन्तर्गत आयेगा।

(9) न्यायालयों का अपमान करने पर दंड (To punish for contempt of court)–कम्पनी के द्वारा यदि न्यायालयों का अपमान किया जाता है तो इस स्थिति में न्यायालयों द्वारा निगमन के आवरण को हटा दिया जाता है, क्योंकि कम्पनी को एक कृत्रिम व्यक्ति की श्रेणी तो प्रदान की गई है, परन्तु न्यायालयों के उल्लंघन का अधिकार प्रदान नहीं किया गया।

(10) कम्पनी की तकनीकी योग्यता देखना (For determination of technical competence of the company)– कम्पनी के अन्तर्गत अच्छी तकनीकी योग्यता का प्रयोग किया जा रहा हो, तो इसके आधार पर कम्पनी के लाभ के लिये निगमन के आवरण को हटाना ही उचित रहता है।

www.neerajbooks.com